न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः– 133/16

1. भंवरी पुत्री नानगा पत्नि कल्याण जाति हरि. ब्राहमण निवासी गीला की नांगल, तह. बस्सी।

बनाम

1. मु. धापा बेवा नानगा जाति हरि. ब्राहमण निवासी दूधली तह. बस्सी।
2. ज्याना पुत्री नानगा पत्नि रामस्वरुप जाति हरि. ब्राहमण निवासी भीलपुरा तह. आमेर।
3. शांति पुत्री नानगा पत्नि कल्याण जाति हरि. ब्राहमण निवासी कुंथाडा तह. बस्सी।
4. तहसीलदार बस्सी।
5. उपपंजियक बस्सी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः– 13.03.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 15 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ख.नं. 53 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 105 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 286 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 की पुस्तैनी भूमि है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बरान की पुश्तैनी जायदाद है जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 का शामलाती रुप से बराबर–बराबर हिस्सा है न की अकेला अप्रार्थीगण नम्बर 1 का, अगर अप्रार्थीगण नम्बर 1 संबंधित आराजीयात को बिना बंटवारे करवाये ही भूमि का बैचान कर देगी तो प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया नम्बर 2 को अपने हको से महरुम हो जावेंगे जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हुआ। क्योंकि अगर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण नम्बर 1 समस्त पुश्तैनी भूमि को बेचान कर देगी इसी प्रकार से बंटवारा करने की भी जरुरी हुआ। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टा काफी प्रबल है। पुस्तैनी संपति होने के कारण प्रार्थीगण के हक में क्योंकि उनके हिस्से होने के कारण एवं कब्जा होने के कारण सुविधा का लाभी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि दावे का मद नं. 2 में भूमि का ग्राम दूधली में होना स्वीकार है किन्तु भूमि पुश्तैनी नहीं है।

दावे का मद नं. 3 में भूमि का नानगा की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है। किन्तु दावे से स्पष्ट नहीं है कि नानगा का स्वर्गवास कब हुआ तथा प्रतिवादिनी/विपक्षीनी सं. 1 के नाम भूमि की खातेदारी कब दर्ज हुई है।

दावे का मद नं. 4 में भूमि की खातेदारी प्रतिवादिनी/विपक्षीनी सं. 1 के नाम दर्ज होना स्वीकार है किन्तु भूमि पर कब्जा भी प्रतिवादिनी/विपक्षीनी सं. 1 का ही है। वादिनी/प्रार्थिनी का भूमि पर कभी कब्जा नहीं

Contd--2

रहा तथा न ही वर्तमान में है तथा न ही वादिनी/प्रार्थिनी ने कभी भूमि को काश्त ही किया। प्रार्थना असत्य है तथा अस्वीकार है प्रार्थिनी कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

नानगा का स्वर्गवास जब प्रतिवादी/विपक्षी सं. 1 जब मात्र 24 वर्ष की थी 41 वर्ष पूर्व ही हो गया था। वादिनी/प्रार्थिनी तथा प्रतिवादिनी/विपक्षिनी सं. 2 व 3 अल्पायू की ही थी। वादिनी/प्रार्थिनी की सास व ननद जो वही रहती थी, जीवित थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। भूमि की काश्त से परिवार का भरण पोषण भी संभव नहीं था। नानगराम जी तथा प्रतिवादिनी/विपक्षिनी व ननद की मृत्यु–भोज में भी काफी पैसा उधार हो गया था। तथा बच्चियों के पालने तथा कालान्तर में प्रतिवादिनी/विपक्षिनी पर काफी ऋण भार हो गया। अत' बच्चियों की परवरिश तथा विवाह में किये गये खर्चे के लिये अनेक लोगों का भारी कर्जा हो गया तो कर्जे को चुकाने के लिए वादिनी/प्रार्थिनी को भूमि को विक्रय करना आवश्यक हुआ। अतः ख.नं. 286 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा को विक्रय समस्त कर्जा चुकाने दिया गया जो स्वयं वादिनी/प्रार्थिनी की जानकारी में है। प्रतिवादिनी/विपक्षिनी असहाय एवं विधवा है, उसके पास जीवन यापन का कोई अन्य साधन नहीं है। अतः भूमि उसके जीवनयापन के लिये तथा लडकियों के होने वाले अन्य सामाजिक कार्यो पर भी उसे खर्च करना पडता है के लिये भी धन की आवश्यकता होने से भूमि का बंटवारा किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थिनी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है तथा न ही सुविधा का संतुलन ही उसके पक्ष में है। कर्जा चुकाने को विक्रय की गई भूमि के अलावा शेष भूमि प्रतिवादी के जीवनयापन के लिये है जिसका वह बेचान नहीं कर रही है। अतः प्रार्थना का उत्तर मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र पर की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात वादग्रस्त आराजी ख.नं. 15 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ख.नं. 53 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 105 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 286 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 286 की भूमि का बेचान हो चुका है शेष भूमि पर प्रतिवादिया रिकार्डेड काबिज खातेदार है। रिकार्डेड काबिज खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ हमफीता हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.3.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी